(67)

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् सदस्यट्रब्यूनल राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

===

द्वितीय अपी.क्र./- सन् 2017

A-764-I/17

1. अध्यक्ष मोमिन मददगार समिति, लवकुशनगर द्वारा तनफ उस्मान खान डी0 मुश्ताक्त लवकुशनगर

2. भूतपूर्व सदरमुस्लिम अंजुमन कमेटी लवकुशनगर द्वारा- शेख अमीर शेख इबारत उर्फ इबदु लवकुशनगर समस्त तह. लवकुशनगर जिला- छतरपुर म.प्र. ----- — अपीलार्थीगण

बनाम

1. शासन म.प्र. द्वारा कलेक्टर छतरपुर म.प्र. ---- अनावेदक

अन्तर्गत धारा 44(2) म०प्र० भू-राजस्व संहिता

द्वितीय अपील विरुद्ध आदेश श्रीमान् अति. आयुक्तमहोदय सागर के अपील प्र.क्र. 310/अपी./2016-17 मेंपारित आदेश दि. 6-01-17 एवं श्रीमान् कलेक्टर छतरपुर के प्र.क्र.3/59अ नोबइयतपरिवर्तन / 15-16 में पारित आदेश दि0 28-9-16 के विरुद्ध अपील ।

===

महोदय,

अपीलकर्तागण सादर निम्न लिखित विनय करते हैः-

1. यह कि अपीलार्थीगण / आवेदकगण सदरमुस्लिम अंजुमनकमेटी लौंड़ी द्वारा कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र दि. 14-6-03 को इस आशय का पेश किया था, कि नगर लौंड़ी { लवकुशनगर} कब्रिस्तान भर जाने से मुस्लिम समाज के मनुष्य एवं महिलाओं के दफन कार्य में कठिनाई आ रही है अतः मौजा लौंड़ी स्थित खसरा नं. 447 रकवा 1.084 हे. बंजर चारागाह कब्रिस्तान निस्तार के लिये आरक्षित करने की आज्ञा प्रदान की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक अपील 764–एक/17 जिला–छतरपुर

रथान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–04–17	अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 310/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 6.1.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि सदरमुस्लिम अजुमनकमेटी लौडी द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिनांक 14.6.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया था कि लवकुशनगर कब्रिस्तान भर जाने से मुस्लिम समाज के मनुष्य एवं महिलाओं के दफन कार्य में कठिनाई आ रही है, अतः मोजा लबकुशनगर स्थित खसरा न0 447 रकवा 1.048 है0 बंजर चारागाह कब्रिस्तान निरस्तार के लिये आरक्षित करने की मांग की। कलेक्टर न्यायालय छतरपुर में आवेदन प्रस्तुत होने पर तहसीलदार लोड़ी से जांच कराई गयी तहसीलदार लोडी ने जांच प्रतिवेदन दिनांक	

10.9.03 को पूर्ण कर अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर को भेजा जिसमें दिनांक 31.12.03 को अपनी सहमति देते हुये उपरोक्त प्रकरण में पूर्ण जांच कर छतरपुर भेजा गया जिसमें तहसीलदार लवकुशनगर एवं अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के द्वारा अपनी जांच में भूमि को कब्रिस्तान निस्तार हेतु आरक्षित करने की अनुशंसा की गई, इसी दोरान प्रकरण लगभग 13—14 वर्षों से लंबित रहा और उसमें कोई कार्यवाही नियमानुसार नहीं हुई और कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा दिनांक 31.12.03 को यह लेखकर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर रिट पिटीशन कमांक 490 / 02 एवं 2496 / 02 में पारित आदेश दिनांक 14.8.02 तथा प्रमुख सचिव म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप कमांक 14.08.2002 तथा प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कमांक 30—18 / 2002 / 7—2 / भोपाल दिनांक 21.1.03 से चरनोई भूमि के आवंटन की प्रकिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने से प्रकरण लंबित रखा गया था, न्यायालय जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 2 / अ—59 / नौबइयतपरिवर्तन / दिनांक 20.5.16 में पारित आदेश दिनांक 28.7.16 से लवकुशनगर स्थित भूमि खसरा न0 961 / 2 में से 0.200 आरे कब्रिस्तान के रूप में आरक्षित की गई थी इस कारण कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा आवेदन निरस्त किया गया और इसी

तारतम्य में जिसकी अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रसतुत की जो दिनांक 6.1.17 को निरस्त की गई जिससे परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवाद खसरा न0 447 रकवा 1.084 है0 स्थित लवकुशनगर भूमि का विवाद है खसरा न0 961 का कोई विवाद न होते हुये प्रकरण का निराकरण करने में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा कानूनी भूल की है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर जिला छतरपुर को ऐसा आवेदन दिया गया था कि खसरा न0 961 मरघट का रकवा 0.200 आरे स्थित लवकुशनगर जो पूर्व में कब्रिस्तान के लिये 1943—44 से कब्रिस्तान के लिये उपयोग भूमि आरक्षित किया है लेकिन 0.200 आरे भूमि में 60—70 साल से मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग महिलायें दफन होती चली आ रही है। कब्रिस्तान भर गया है अन्य कोई जगह नहीं है, इन सब तथ्यों को गौर किये बगैर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा अपना आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है तथा इसी प्रकार अपर आयुक्त सागर द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधि प्रावधानों को अनदेखी करते हुये माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है

वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि मामला निस्तार पत्रक के वर्गीकरण में परिवर्तन संशोधन से जुड़ा हुआ है तथा चरनोई मद से भूमि को कब्रिस्तान मद में परिवर्तित करने से संबंधित है, एक समुदाय विशेष के खासनिस्तार के अधिकार से जुडा हुआ है जबकि भूमि आबंटन का मामला कृषि कार्य से संबंधित है एवं व्यक्तिगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले को भूमि आबंटन से जोडकर निष्कर्ष निकालने में भूल की है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे।

4— आपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया, अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा शासन के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया उनके द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया हैं ।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर एवं संलग्न प्रकरण में दस्तावेज का वारीकी से अध्ययन किया गया।

अध्यक्ष मोमिन मददगार समिति लवकुशनगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.8.2016 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर का जांच प्रकरण कमांक 218/बी--121/2003--04 प्रतिवेदन दिनांक 31.12.03 का अवलोकन से तहसीलदार द्वारा अपने जांच प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक 10.9.03 से नगर लवकुशनगर स्थित शासकीय भूमि खसरा न0 447 रकवा 1.084 जो राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन दर्ज को मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के लिये कब्रिस्तान हेतु आरक्षित किये जाने का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के माध्यम से तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिया हैं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर कि रिट पिटीशन कमांक 490/02 एवं 2496/02 में पारित आदेश दिनांक 14.8.02 तथा प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 30--18/2002/सात--2/भोपाल दिनांक 21.1.2003 से चरनोई भूमि के आवंटन की प्रकिया पर तत्काल रोक लगाये जाने से अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। " **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीली कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं"** उपरोक्तं विवेचना के आधार पर अपर

आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 310/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 6.1.17 विधि प्रावधानों से उचित होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागर में भेजा जावे।

(एस0 एल0 अली)
सदस्य